राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण और वन
JAIRAM RAMESH
Minister of State (Independent Charge)
Environment & Forests
Govt. of India, New Delhi

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1549] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2009/आश्विन 7, 1931
No. 1549] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2009/ASVINA 7, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

का.आ. 2465(अ).—पशुओं का परिवहन (संशोधन) नियम, 2008 का प्रारुप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1876(अ), तारीख 31 जुलाई, 2009 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 3 अगस्त, 2009 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 30 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 अगस्त, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को प्रारुप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं का परिवहन नियमावली, 1978 में आगे निम्नलिखित संशोधन नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं का परिवहन (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशुओं का परिवहन नियम, 1978 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 50 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 50 रखा जाएगा, अर्थात् :—

"50. रेलवे वैगन या यान में प्रति पशु उपलब्ध कराया गया औसत स्थान सारणी-1 और सारणी-2 में दिए गए अनुसार निम्नलिखित होगा :—

सारणी 1
प्रति पशु अनुज्ञात स्थान

200 कि.ग्राम. भार वाले पशु	1 वर्ग मीटर
200-300 कि.ग्राम. भार वाले पशु	1.20 वर्ग मीटर
300-400 कि.ग्राम. भार वाले पशु	1.40 वर्ग मीटर
400 कि.ग्राम. से अधिक भार वाले पशु	2.0 वर्ग मीटर

सारणी -2

सामान्य आकार वाले सड़क यानों में परिवहन किए जाते समय पशुओं के लिए स्थान की अपेक्षा

यान आकार लम्बाई X चौड़ाई वर्ग मीटर	यान का छत क्षेत्र वर्ग मीटर में	पशुओं की संख्या			
		200 कि.ग्रा. भार वाले पशु (1 वर्ग मीटर स्थान प्रति पशु)	200-300 कि.ग्रा. भार वाले पशु(1.20 वर्ग मीटर स्थान प्रति पशु)	300-400 कि.ग्रा. भार वाले पशु(1.40 वर्ग मीटर स्थान प्रति पशु)	400 कि.ग्रा. से अधिक भार वाले पशु(2.0 वर्ग मीटर स्थान प्रति पशु)
6.9 X 2.4	16.56	16	14	12	8
5.6 X 2.3	12.88	12	10	8	6
4.16 X 1.9	7.904	8	6	6	4
2.9 X 1.89	5.481	5	4	4	2".

3. उक्त नियम के नियम 58 में, प्रविष्टि (ग) के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(घ) घोड़े : सड़क/रेल द्वारा परिवहन किए जाते समय स्थान की अपेक्षा

घोड़े	वर्ग मीटर में स्थान
स्टालियन घोड़े	2.25
घोड़ियां (गर्भावस्था वाली सहित)	2
खच्चर	1.5
6 महीने से 12 महीने	1.4
12 महीने से 18 महीने	1.6
18 महीने से अधिक और 2वर्ष तक	2
मेयर्स विद फोल एट फुट (6 महीने तक)	2.25.

".

4. उक्त नियम के, नियम 73 में, **"भेड़"**, शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाऐंगे, अर्थात् :-

"और बकरियां रेल/सड़क द्वारा परिवहन किए जाते समय इस प्रकार से होगी :-

132

भेड़ और बकरियां : रेल/सड़क द्वारा परिवहन किए जाते समय स्थान की अपेक्षा

पशुओं का अनुमानित भार कि.ग्राम. में	**वर्ग मीटर में अपेक्षित स्थान**	
	वूल्ड	**शोर्न**
20 से अधिक नही	0.17	0.16
20 से अधिक पर 25 से अधिक नही	0.19	0.18
25 से अधिक पर 30 से अधिक नही	0.23	0.22
30 से अधिक पर 40 से अधिक नही	0.27	0.25
40 से अधिक	0.32	0.29".

5. उक्त नियम के, नियम 94 में, सारणी में उपनियम (क) के पश्चात, स्तंभ (i) ब्राड गेज शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :

"

ब्राडगेज (1)
"वैगन का क्षेत्र
63.5 वर्ग मीटर फ्लोर एरिया वाले वी पी यू सूअरों की संख्या 104 (0.61 वर्ग मीटर प्रति सूअर)

"

6. उक्त नियम के, नियम 95 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :

"(क) सामान्य आकार वाले सड़क यानों के लिए अनुमत सूअरों की अधिकतम संख्या

क्र.सं.	**पशु का प्रकार**	**सड़क यानों के लिए अनुमत सूअरों की अधिकतम संख्या**			
		5.6मी.X2.35मी. आकार वाले यान	5.15मी. X2.18मी. आकार वाले यान	3.03मी. X2.18मी. आकार वाले यान	2.9मी. X2.0मी. आकार वाले यान
1.	नवजात	43	37	22	19
2.	युवा	31	26	15	13
3.	वयस्क	21	18	10	9

टिप्पणी :– सभी नस्ल, आयु और लिंग के सूअरों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अनुमत स्थान लागू होगा :

(क) नवजात :- वह सूअर (पिगलेट) जिसे स्वतंत्र रुप से पालने के प्रयोजनार्थ अभी-अभी मां से अलग किया गया हो ओर जो सामान्यत : 12 कि.ग्रा. - 15 कि.ग्रा. की भार सीमा में हो ।

(ख) युवा :- नर या मादा सूअर 03 से 06 माह के बीच की आयु का और सामान्यत : 15 कि.ग्रा. -50 कि.ग्रा. की भार की सीमा में हो

(ग) वयस्क :- नर या मादा सूअर 06 माह से ऊपर की आयु का और 50 कि.ग्रा. से अधिक के भार का हो ।

[फा. सं. 27-15/2006-ए डब्ल्यू डी]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव (ए डब्ल्यू)

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 2, उप-खण्ड (ii) के तहत भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई (कृषि विभाग), अधिसूचना संख्या 18-6/70-एल डी आई तारीख 23 मार्च, 1978 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संख्या का.आ. 269(अ), तारीख 26 मार्च, 2001 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2009

S.O. 2465(E).—Whereas the draft Transport of the Animals Amendment Rules, 2008, were published as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960)under the notification of Government of India, Ministry of Environment and Forest number S.O1876(E) dated 31st July 2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub Section (ii) dated 3rd August 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public.

And, whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd August 2009.

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transport of Animals Rules 1978, namely:-

1. (1) These rules may be called Transport of Animals (Amendment) Rules, 2009.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transport of Animals Rules, 1978 (herein after referred to as the said rules), for rule 50, the following rule 50 shall be substituted, namely:-

"50. The average space provided per cattle in Railway wagon or vehicle shall be as provided in Tables I and II as given below:-

TABLE - I

Space Allowance per Cattle

Cattle weighing upto 200Kg	**1 Square.Meter**
Cattle weighing 200-300 Kg	**1.20 Square.Meter**
Cattle weighing 300-400 Kg	**1.40 Square.Meter**
Cattle Weighing above 400 Kg	**2.0 Square Meter**

TABLE - II

Space requirement for Cattle while being transported in commonly sized road vehicles

Vehicle Size Length x Width Square Meter	Floor Area of the vehicle in Square Meter (Sq.mtr.)	Number of Cattle			
		Cattle weighing upto 200 Kg (1 Sq.mtr. space per cattle)	Cattle weighing 200-300 Kg (1.20 Sq.mtr space per cattle)	Cattle weighing 300-400Kg (1.40 Sq.mtr space per cattle)	Cattle weighing above 400Kg (2.0 Sq.mtr space per cattle)
6.9 x 2.4	16.56	16	14	12	8
5.6 X 2.3	12.88	12	10	8	6
4.16X1.9	7.904	8	6	6	4
2.9X1.89	5.481	5	4	4	2

In the said rules, in rule 58, after entry (c), the following entry shall be inserted, namely:-

Horses: Space requirement while being transported by road/rail

Horses	Space in Square. Meter
Stallion Horses	2.25
Mares(including pregnant	2
Ponies	1.5
6 Months to 12 Months	1.4
12 Months to 18 Months	1.6
Over 18 Months and upto 2 Years	2
Mares with Foal at foot (upto 6 months)	2.25.

"

4. In the said rules, in rule 73, after the words "for a sheep", the following shall be substituted, namely ;-

"and Goat while being transported by rail/road shall be as under:-

Sheep and Goat : Space requirement while being transported by rail/road

Approximate weight of animal in Kilogram	Space Required in Square Meter	
	Wooled	Shorn
Not more than 20	0.17	0.16
More than 20 but not more than 25	0.19	0.18
More than 25 but not more than 30	0.23	0.22
More than 30 but not more than 40	0.27	0.25
More than 40	0.32	0.29".

5. In the said rules, in rule 94, after sub rule (a), in the TABLE, under the heading Broad gauge, in column (1), for the entry, the following entry shall be substituted namely:-

"

Broad gauge (1)
"Area of Wagon
VPU having Floor Area 63.5Square Meter Number of Pigs 104 (0.61 Square Meter per Pig)

".

6. In the said rules, in rule 95, for the clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) Maximum Number of Pigs permitted for commonly sized road vehicle

S.No.	Type of Animal	Maximum Number of Pigs Permitted for road vehicles			
		Vehicle having size 5.6m x 2.35m	Vehicle having size 5.15m x 2.18m	Vehicle having size 3.03m x 2.18m	Vehicle having size 2.9m x 2.0m
1.	Weaner	43	37	22	19
2.	Young	31	26	15	13
3.	Adult	21	18	10	9

Note :—For the purpose of Pigs of all breeds, ages and sex, the following Space allowances shall apply:

(d) Weaner – Piglet which has just been separated from the mother for the purpose of independent rearing and commonly in the weight range of 12Kg – 15Kg.

(e) Young – Male or female pig between 03 to 06 months of age and commonly in the weight range of 15Kg – 50Kg.

(f) Adult – A Male or female pig above 06 months of age and having weight more than 50Kg.".

[F. No. 27-15/2006-AWD]

HEM PANDE, Jt. Secy. (AW)

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number Part I, Section 2 (ii) vide Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), Notification No. 18-6/70-LDI dated 23rd March 1978 and subsequently amended by the Ministry of Social Justice & Empowerment vide number S.O.269 (E) dated 26th March, 2001.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.